न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक 1226/एक/2016 जिला–जबलपुर

श्रीमती अहिल्या बाई पत्नी स्व. श्री महेश प्रसाद गौंड
निवासी – शारदा चौक, मदन लाल, तहसील व जिला जबलपुर (म.प्र.)
..... आवेदक

विरूद्ध

1– रंजीत चौधरी पुत्र श्री डब्बल प्रसाद चौधरी
निवासी – 2,284ए, व्ही. एफ.जे. इस्टेट जबलपुर (म.प्र.)
2– कमलेश यादव पुत्र श्री भारत यादव
निवासी – ग्राम धरहर तहसील पनागर जिला जबलपुर (म.प्र.)
3– मध्य प्रदेश शासन
..... अनावेदकगण

व्यवहार प्रक्रिया संहिता की धारा 152 के अधीन आवेदन–पत्र।

माननीय महोदय,

प्रार्थी की ओर से निम्नलिखित निवेदन है :–

1. यहकि, अधीनस्थ न्यायालय कलेक्टर जिला जबलपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 19 अ–21/2013–14 में पारित आदेश दिनांक 10.10.2013 के विरूद्ध प्रार्थी द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष निगरानी प्रकरण क्रमांक 1226/एक/2016 प्रस्तुत की गयी थी जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा अन्तिम आदेश दिनांक 21.07.2016 पारित किया गया है।
2. यहकि, माननीय न्यायालय के समक्ष जो निगरानी प्रस्तुत की गयी थी उसमें प्रकरण के तथ्य एवं आधारो में जिन तथ्यों का उल्लेख किया गया है। उसका माननीय न्यायालय के आदेश में उल्लेख नहीं किया गया है जो लिपिकीय त्रुटि है अतः सुधार किया जाना आवश्यक है।

अतएव निवेदन है कि आवेदन–पत्र स्वीकार कर आदेश में प्रकरण के तथ्यों का उल्लेख किये जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान किये जाये।

स्थान : ग्वालियर
दिनांक : 20.09.2016

निवेदक
श्रीमती अहिल्या बाई पत्नी स्व. श्री महेश प्रसाद गौंड
निवासी – शारदा चौक, मदन लाल, तहसील व जिला जबलपुर (म.प्र.)
..... आवेदक
द्वारा अभिभाषक
के.के.द्विवेदी

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1226/एक/2016 जिला जबलपुर

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही का आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
23.9.16.	यह निगरानी आवेदक द्वारा कलेक्टर जिला जबलपुर के प्रकरण क्रमांक 19/अ-21/13-14 में पारित आदेश दिनांक 10-10-2013 के विरूद्ध म0प्र0 भू - राजस्व संहिता सन 1959 की धारा 50 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है । 2- प्रकरण का सरांश यह है कि आवेदक ने कलेक्टर जबलपुर के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर मांग की गयी है, कि उसके स्वामित्व की भूमि ग्राम धरहर नं.ब 27 प.ह.न खसरा नं. 73 रकवा 0.890 है0, खसरा नंबर 75 रकबा 1.400 है0, इन दोनो का खसरा कुल रकबा 2.290 है0 असिंचित भूमि एवं ग्राम बदरिया प.ह.नं. 2 तहसील कुंडम जिला जबलपुर स्थित भूमि ख्सरा नंबर 6, 7, 53, 202 क्रमश: रकबा 0.170 है0, 0.520 है0, 0.050 है0, 0.310 है0 इस प्रकार कुल रकबा 2.050 है0 भूमि सिंचित भूमि के मालिक एवं काबिज भूमि स्वामी हूँ तथा शासकीय अभिलेखों में उपरोक्त भूमि आवेदक के नाम दर्ज है जिसे अनावेदक क्रमांक 1 एवं 2 को विक्रय करना चाहता है। इस संबंध में विक्रय अनुबंध पत्र किया गया है । इस भूमि को विक्रय करने के बाद आवेदक भूमिहीन नही होगा क्योकि उसके पास 2.050 है0 भूमि शेष बचेगी,	

इसलिय आवेदक को भूमि विक्रय करने की अनुमति दी जाये। कलेक्टर जिला जबलपुर ने प्रकरण क्रमांक 282 / अ-21/ 2013-14 पंजीबद्ध कर आवेदक के आवेदन पत्र में वर्णित तथ्यों की जांच अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व जबलपुर से करायी। जांच प्रतिवदेन प्राप्त होने पर कलेक्टर, जबलपुर ने आवेदक के प्रकरण में आदेश दिनांक 10.10.2013 पारित कर आवेदक का विक्रय अनुमति आवेदन खारिज कर दिया गया । इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की गयी ।

3- निगरानी मैमों में उठाये गये बिन्दूओं पर उभयपक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया ।

4- आवेदक अभिभाषक ने तर्कों में बताया कि अनुविभागीय अधिकारी के यहां से जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर कलेक्टर जबलपुर ने दिनांक 10-10-2013 को आवेदन पत्र पर कोई सदभाविक कार्यवाही न कर जांच प्रतिवेदन अभिमत सहित बुलाये जाने का आदेश पारित किया ऐसी स्थिति में आवेदक का विक्रय अनुमति आवेदन जांच प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद भी विक्रय अनुमति नही दी गयी है। अत: विचाराधीन निगरानी प्रस्तत कर विक्रय अनुमति दिये जाने का निवेदन किया गया । अनावेदक क्रमांक 3 के अभिभाषक ने इसका विरोध करते हुए कलेक्टर के आदेश को यथावत रखने की प्रार्थना की गयी ।

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1226/एक/2016

3- पटवारी हल्का ने प्रतिवेदन में यह बताया है कि भूमि असिंचित है इस प्रकार आवेदक की भूमि घाटे की कृषि भूमि है।

4- आवेदक अभिभाषक के तर्को के अनुसार आवेदित भूमि स्वामीहक में दर्ज है एवं आवेदक की भूमि पट्टे की भूमि नही है। इसका अर्थ यह हुआ कि आवेदक भूमि शासकीय पट्टे पर प्राप्त न होकर स्वयं द्वारा विक्रय पत्र के माध्यम से अर्जित भूमि है ऐसा भूमिस्वामी अपनी भूमि को विक्रय करने हेतु स्वतंत्र है क्योंकि शासन से पट्टे पर प्राप्त भूमि का पट्टेधारी पट्टे की शर्तों का पालन करते हुए 10 वर्ष व्यतीत होने पर भूमिस्वामी बन जाता है। जो भूमि के सभी प्रकार के प्रयोजन के लिए स्वतंत्र है।

5- प्रकरण के आये तथ्यों से स्पष्ट है कि वाद ग्रस्त भूमि आवेदक के स्वत्व एवं स्वामित्व की भूमि है, जो शासन से पट्टे पर प्राप्त न होकर स्व-अर्जित है। आवेदक आदिम जनजाति का सदस्य है, जिसके कारण उसने भूमि विक्रय की अनुमति मांगी है। संहिता की धारा 165 (7-ख) प्रवितबंधित करती है कि कोई भी शासकीय पट्टेदार अथवा भूमिस्वामी बिना सक्षम अनुमति के भूमि विक्रय नही करेगा ओर इसी प्रतिबंध के कारण आवेदक ने कलेक्टर से आवश्यकता दर्शाते हुए भूमि विक्रय करने की अनुमति मांगी है। आवेदक ने भूमि विक्रय करने का अनुबंध शासकीय गाईडलाईन के माध्यम से निर्धारित दर पर अनावेदक क्रमांक 1 व 2 के साथ किया है जो शासन द्वारा निर्धारित गाईडलाईन के मान से विक्रय मूल देने को तैयार है। परिणामत: आवेदक